जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2026/डी– दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 228वीं बैठक दिनांक 21.07.2026 को दोपहर 12:00 बजे श्री सिद्धार्थ महाजन, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ''चितंन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार–विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	**228:1**	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 227वीं बैठक दिनांक 13.07.2026 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की पूर्व की बैठकों की लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा सभी जोनों को आगामी बैठक से पूर्व जारी गूगल स्प्रेडशीट पर अनुपालना कार्यवाही अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2.	10	**228.2**	जोन–10 द्वारा :– • माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु पुलिस आयुक्तालय को पुलिस थाना जामडोली के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु पूर्व में आवंटित 5000 वर्गमीटर भूमि के स्थान पर 2000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि एलपीसी की 203वीं बैठक दिनांक 22.11.2024 के निर्णय अनुसार ग्राम जामडोली के ख.नं. 215 में 5000 व. मी. भूमि पुलिस थाना, जामडोली हेतु आवंटन का निर्णय तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर दिनांक 01.01.2025 को आंवटन पत्र तथा दिनांक 20.05.2025 को कब्जा पत्र जारी किया गया। उक्त भूमि प्राधिकरण की प्रस्तावित अन्य योजना/ प्लानिंग में सम्मिलित होने के कारण मौके पर कब्जा नही दिया जा सका। आंवटित भूमि का उपयोग नही होने के आधार पर पूर्व आंवटन निरस्त किये जाने के साथ–साथ ग्राम सुमेल के ख.नं. 199 एवं 717 में से 2000 व. मी. भूमि का आंवटन प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित भूमि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ईकोलॉजिकल भू–उपयोग, मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना–07 के अनुसार आवासीय दर्शित है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.01.2025 अनुसार जयपुर मास्टर प्लान–2011 के ईकोलॉजिकल क्षेत्र में विद्यमान राजस्व ग्रामों व आबादी हेतु जनोपयोगी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से ईकोलॉजिकल भू–उपयोग में रूरल सेटलमेन्ट के अन्तर्गत राजकीय जनोपयोगी सुविधाओं की गतिविधिया निम्न मानदण्डों की पालना के साथ अनुमत किया जाता हैः–

				1. अधिकतम भू–आच्छादन–20 प्रतिशत 2. अधिकत ऊँचाई–जी+2 3. वृक्षारोपण–20 प्रतिशत आच्छादन के अतिरिक्त 80 प्रतिशत खुले क्षेत्र में से 50 प्रतिशत (कुल भूमि का 40 प्रतिशत) सघन वृक्षारोपण हेतु किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– • ग्राम सुमेल के खसरा नम्बर 199 रकबा 9. 8768 हैक्ट. किस्म चारागाह, खसरा नम्बर 717 रकबा 4.3377 हैक्ट. किस्म बंजड–1 में से 2000 वर्गमीटर भूमि (सलंग्न नक्शे अनुसार) पुलिस थाना जामडोली के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। • पूर्व में आवंटित ग्राम जामडोली के ख.नं. 215 में 5000 व.मी. भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाकर ग्राम सुमेल में प्रस्तावित आंवटन किये जाने का निर्णय लिया गया। विभाग पूर्व में आंवटित भूमि के दस्तावेज जविप्रा को लोटा देवे। यह कार्यवाही जोन 15 दिवस में सुनिश्चित कर लेवे। • राज्य सरकार के जारी आदेश दिनांक 13.01. 2025 की पालना विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3.	10	**228.3**	जोन–10 द्वारा :– • माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम जयसिंहपुरा खोर के खसरा नम्बर 1853 रकबा 6. 3991 हैक्ट. किस्म बंजड–2 में से 1.00 हैक्ट. प्रस्तावित भूमि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ईकोलॉजिकल भू–उपयोग, मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना–07 में स्पेशल एरिया दर्शित है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.01.2025 अनुसार जयपुर मास्टर प्लान–2011 के ईकोलॉजिकल क्षेत्र में विद्यमान राजस्व ग्रामों व आबादी हेतु जनोपयोगी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से ईकोलॉजिकल भू–उपयोग में रूरल सेटलमेन्ट के अन्तर्गत राजकीय जनोपयोगी सुविधाओं की गतिविधिया निम्न मानदण्डों की पालना के साथ अनुमत किया जाता है:– 1. अधिकतम भू–आच्छादन–20 प्रतिशत 2. अधिकत ऊँचाई–जी+2

				3. वृक्षारोपण–20 प्रतिशत आच्छादन के अतिरिक्त 80 प्रतिशत खुले क्षेत्र में से 50 प्रतिशत (कुल भूमि का 40 प्रतिशत) सघन वृक्षारोपण हेतु किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः– • ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय, ग्राम जयसिंहपुरा खोर के खसरा नम्बर 1853 रकबा 6.3991 हैक्ट. किस्म बंजड–2 मे से भू–आंवटन नीति 2025 के प्रावधान अनुसार 1. 00 हैक्ट. भूमि (सलंग्न नक्शे अनुसार) नि :शुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। • राज्य सरकार के जारी आदेश दिनांक 13.01. 2025 की पालना विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
4.	10	**228:4**	जोन–10 द्वारा :– • माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु बाल अधिकारिता विभाग को बालिका आवासीय विद्यालय हेतु पूर्व में आवंटित 2.0 हैक्टे भूमि को निरस्त करते हुए उक्त के स्थान पर जयसिंहपुरा खोर के खसरा संख्या 1853 में 24227.27 वर्गमीटर नवीन भूमि आवंटन बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि एलपीसी की 203वीं बैठक दिनांक 22.11.2024 के निर्णय अनुसार ग्राम जयसिंहपुरा खोर के ख.नं. 215 में 20000 व.मी. भूमि बाल अधिकारिता विभाग हेतु आंवटन का निर्णय तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर दिनांक 23.06.2025 को आंवटन पत्र तथा दिनांक 02.07.2025 को कब्जा पत्र जारी किया गया। आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग के पत्र दिनांक 02.11.2025 द्वारा आवंटित भूमि वर्तमान संचालित बालिका गृह, गांधी नगर, जयपुर से अत्यन्त दूर होने के कारण अन्य भूमि आवंटन बाबत् लिखा गया। आंवटित भूमि का उपयोग नही किये जाने के आधार पर पूर्व आंवटन निरस्त किये जाने के साथ–साथ ग्राम जयसिंहपुरा खोर के ख.नं. 1853 में से 24227.27 व.मी. भूमि का आंवटन प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित भूमि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ईकोलॉजिकल भू–उपयोग, मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना–07 के अनुसार स्पेशल एरिया दर्शित है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.01.2025 अनुसार जयपुर मास्टर प्लान–2011 के ईकोलॉजिकल क्षेत्र में विद्यमान राजस्व ग्रामों व आबादी हेतु जनोपयोगी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से ईकोलॉजिकल

RajKaj Ref No.:
23673260

				भू–उपयोग में रूरल सेटलमेन्ट के अन्तर्गत राजकीय जनोपयोगी सुविधाओं की गतिविधिया निम्न मानदण्डों की पालना के साथ अनुमत किया जाता हैः– 1. अधिकतम भू–आच्छादन–20 प्रतिशत 2. अधिकत ऊँचाई–जी+2 3. वृक्षारोपण–20 प्रतिशत आच्छादन के अतिरिक्त 80 प्रतिशत खुले क्षेत्र में से 50 प्रतिशत (कुल भूमि का 40 प्रतिशत) सघन वृक्षारोपण हेतु किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः– • ग्राम जयसिंहपुरा खोर के ख.नं. 1853 में से 24227.27 व.मी. भूमि बाल अधिकारिता विभाग हेतु निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। • आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग के पत्र दिनांक 02.11.2025 के आधार पर पूर्व में आवंटित ग्राम जयसिंहपुरा खोर के ख.नं. 215 में 20000 व.मी. भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाकर ग्राम जयसिंहपुरा खोर के ख.नं. 1853 में से 24227.27 व.मी. प्रस्तावित भूमि (सलंग्न नक्शे अनुसार) का आंवटन किये जाने का निर्णय लिया गया। • राज्य सरकार के जारी आदेश दिनांक 13.01.2025 की पालना विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
5.	11	**228:5**	जोन–11 द्वारा :– • श्री रवि विश्नोई पुत्र श्री मांगी लाल विश्नोई स्वर्ण पदक विजेता • उपरोक्तानुसार गैलेण्ट्री अवार्डस् धारकों (परमवीर चक्र/महावीर चक्र/वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र) एवं मैडल धारकों (ओलंपिक्स्/पैरा ओलंपिक्स् में पदक, एशियाड/कौमन वैल्थ में पदक, स्वर्ण पदक) का राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17ए के तहत • जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर के 162.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से अवार्डधारक को एक भूखण्ड आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा प्रस्तावित मैडल धारकों (ओलंपिक्स्/पैरा ओलंपिक्स् में पदक, एशियाड/कौमन वैल्थ में पदक, स्वर्ण पदक) को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17ए के तहत प्राधिकरण के जारी आदेश दिनांक 04.09.2024 के तहत प्राप्त वरीयता के आधार पर मोहनलाल सुखाडिया नगर आवासीय योजना के भूखण्डों 3, 34, 77, 63, 80 में से एक उपलब्ध 162.00 व.मी. का भूखण्ड का निःशुल्क आवंटन प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः– • प्राधिकरण के आदेश दिनांक 04.09.2024 में मोहनलाल सुखाडिया नगर योजना में नियम 17ए के तहत आरक्षित भूखण्डों के अतिरिक्त जोन द्वारा प्रस्तावित अन्य भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 63 व 80) को लॉटरी में सम्मिलित नहीं

				किये जाने के निर्देश दिये गये। • श्री रवि विश्नोई पुत्र श्री मांगीलाल विश्नोई एशियार्ड स्वर्ण पदक विजेता को राजस्थान राज्य कीडा परिषद की अनुशंषा पत्र दिनांक 20.08.2024 के आधार पर नियम 17ए के तहत जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर के 162.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों 3, 34, 77 में से लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया। • आवंटन पत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदक से राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट(डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के विनियम 17–ए के तहत कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है, बाबत शपथ पत्र एवं गैलेन्ट्री अवार्ड/पुरूस्कार/पात्रता संबंधित दस्तावेज प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6.	11	**228.6**	जोन–11 द्वारा :– • श्री बने सिंह गुर्जर पुत्र श्री राजाराम शौर्य चक्र विजेता • उपरोक्तानुसार गैलेण्ट्री अवार्डस् धारकों (परमवीर चक्र/महावीर चक्र /वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र) एवं मैडल धारकों (ओलंपिक्स् /पैरा ओलंपिक्स् में पदक, एशियाड/कौमन वैल्थ में पदक, स्वर्ण पदक) को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17ए के तहत • जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर के 162.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से अवार्डधारक को एक भूखण्ड आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा प्रस्तावित गैलेण्ट्री अवार्डस् धारकों (परमवीर चक्र/महावीर चक्र /वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र) को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17ए के तहत प्राधिकरण के जारी आदेश दिनांक 04.09.2024 के तहत प्राप्त वरीयता के आधार पर मोहनलाल सुखाडिया नगर आवासीय योजना के भूखण्डों 3, 34, 77, 63, 80 में से एक उपलब्ध 162.00 व.मी. का भूखण्ड का निःशुल्क आवंटन प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः– • प्राधिकरण के आदेश दिनांक 04.09.2024 में मोहनलाल सुखाडिया नगर योजना के नियम 17ए के तहत आरक्षित भूखण्डों के अतिरिक्त जोन द्वारा प्रस्तावित अन्य भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 63 व 80) को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये। • श्री बने सिंह गुर्जर पुत्र श्री राजाराम शौर्य चक्र विजेता को कमाण्डींग ऑफिसर, 22 राजपूत के पत्र दिनांक 08.08.2025 एवं के आधार पर नियम 17ए के तहत जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर के 162.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों 3, 34, 77 में से लॉटरी के माध्यम से

				एक भूखण्ड निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया। • आवंटन पत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदक से राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट(डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के विनियम 17–ए के तहत कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है, बाबत शपथ पत्र एवं गैलेन्ट्री अवार्ड/ पुरूस्कार/पात्रता संबंधित दस्तावेज प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
7.	11	**228.7**	जोन–11 द्वारा :– • श्रीमती रमा देवी पत्नी शहीद सूबेदार श्री गुमान सिंह शौर्य चक्र विजेता • उपरोक्तानुसार गैलेण्ट्री अवार्डस् धारकों (परमवीर चक्र/महावीर चक्र /वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र) एवं मैडल धारको (ओलंपिक्स् /पैरा ओलंपिक्स् मे पदक, एशियाड/कौमन वैल्थ में पदक, स्वर्ण पदक) को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17ए के तहत • जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर के 162.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से अवार्डधारक को एक भूखण्ड आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा प्रस्तावित गैलेण्ट्री अवार्डस् धारकों (परमवीर चक्र/महावीर चक्र /वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र) को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17ए के तहत प्राधिकरण के जारी आदेश दिनांक 04.09.2024 के तहत प्राप्त वरीयता के आधार पर मोहनलाल सुखाडिया नगर आवासीय योजना के भूखण्डों 3, 34, 77, 63, 80 में से एक उपलब्ध 162.00 व.मी. का भूखण्ड का निःशुल्क आवंटन प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः– • प्राधिकरण के आदेश दिनांक 04.09.2024 में मोहनलाल सुखाडिया नगर योजना के नियम 17ए के तहत आरक्षित भूखण्डों के अतिरिक्त जोन द्वारा प्रस्तावित अन्य भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 63 व 80) को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये। • श्रीमती रमा देवी पत्नी शहीद सूबेदार श्री गुमान सिंह शौर्य चक्र विजेता को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जयपुर के अनुशंषा पत्र दिनांक 26.06.2024 के आधार पर नियम 17ए के तहत जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर के 162.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों 3, 34, 77 में से लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया। • आवंटन पत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदक से राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट(डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के विनियम 17–ए के तहत कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है, बाबत शपथ पत्र एवं गैलेन्ट्री अवार्ड/ पुरूस्कार/पात्रता संबंधित दस्तावेज प्राप्त

				किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
8.	12	**228.8**	जोन–12 द्वारा :– • ग्राम पचार तहसील कालवाड • खसरा नम्बर 1455 • रकबा 6.0323 हैक्टेयर में से 12300.00 व. मी. • मुख्यमंत्री बजट घोषणा क्रम संख्या 2025–26 के तहत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जयपुर को पी.एम–ई बस योजना के लिए आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व ग्राम पचार तहसील कालवाड के खसरा नं. 1455 रकबा 6.0323 हैक्टेयर में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जयपुर द्वारा चाहे गये 20000 व.मी. के स्थान पर 12300.00 व.मी. भूमि पी.एम. ई–बस योजना के लिए आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित खसरा 1455 मास्टर प्लान 2025 तथा जेडडीपी के अनुसार ग्रामीण तथा नविवि के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार आवेदित प्रयोजन अनुज्ञेय है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– • जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जयपुर को पी.एम.ई–बस योजना के लिए भूमि की आवश्यकता केवल भू–तल पर होने के कारण तथा प्रबन्ध निदेशक, जेसीटीएसएल द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.06. 2026 के माध्यम से आंवटित भूमियो पर वर्टिकल निर्माण कर उपयोग में लिये जाने की सहमति के आधार पर राजस्व ग्राम पचार तहसील कालवाड के खसरा नम्बर 1455 रकबा 6.0323 हैक्टेयर में से 10000.00 व.मी. भूमि (सलंग्न नक्शे अनुसार) चाहे गये प्रयोजनार्थ, स्वामित्व प्राधिकरण का रहने की शर्त के साथ आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया।
9.	14	**228.9**	जोन–14 द्वारा :– • ग्राम गोनेर तह. सांगानेर • जविप्रा की योजना गोनेर ग्रुप हाउसिंग में स्कूल की स्थापना हेतु • 562.26 वर्गमीटर भूमि • मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, सांगानेर (ग्रामीण) जयपुर को मुख्यमंत्री बजट घोषणा के क्रम आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम गोनेर तह. सांगानेर में जविप्रा की योजना गोनेर ग्रुप हाउसिंग में नीलामी के माध्यम से दिये गये भूखण्ड पर स्कूल निर्मित होने के कारण भूखण्ड के निस्तारण की सक्षम स्वीकृति पश्चात् गोनेर ग्रुप हाउसिंग योजना में स्कूल हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 562.26 व.मी. का आंवटन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, सांगानेर (ग्रामीण) जयपुर को किया जाना प्रस्तावित है। भू–आवंटन नीति 2025 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्य ालय हेतु 2000 व.मी. भूमि दिये जाने का प्रावधान है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, सांगानेर (ग्रामीण) जयपुर की सहमति

				के आधार पर 562.26 व.मी. भूमि आंवटन किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– • मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, सांगानेर (ग्रामीण) जयपुर को ग्राम गोनेर तह. सांगानेर में जविप्रा की योजना गोनेर ग्रुप हाउसिंग में राजकीय प्राथमिक विद्यालय छापरवालों की ढाणी (गोनेर) स्कूल की स्थापना हेतु 562.26 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।
10.	16	**228.10**	जोन–16 द्वारा :– • आमेर जयपुर में 400 केवी जीएसएस राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के निर्माण के लिए अतिरिक्त 7.5 हैक्टेयर भूमि ग्राम चीथवाडी तहसील चौमू में आवंटन एवं 20 हेक्टेयर भूमि की पूर्ति करने एवं प्रस्तावित रिंग रोड से प्रभावित अनुपयोगी लगभग 7.5 हेक्टेयर भूमि जेडीए को प्रत्यार्पित कर दिए जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को आमेर जयपुर में 400 केवी जीएसएस स्टेशन हेतु राजस्व ग्राम चौंप तहसील आमेर में ख.नं. 20, 21, 25, 26, 27, 29, 39, 40, 43, 44 व 49/2395 की 20 हैक्टयर भूमि दिनांक 05.09.2014 को आवंटित की गई, जिसमें से उत्तरी रिंग रोड के प्रस्तावित कोरीडोर से प्रभावित 7.9169 हैक्टयर भूमि आवेदित प्रयोजन के लिए अनुपयोगी रहने के कारण प्राधिकरण को प्रत्यार्पित किया जाकर ग्राम चीथवाडी तहसील चौंमू के ख.नं. 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142 में 7.9169 हैक्टयर भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– • खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.3092 हैक्ट. जविप्रा स्वामित्व की किस्म गै.मु.रास्ता होने के कारण प्रस्तावित आंवटन में सम्मिलित नही किया जाए। • पूर्व में आंवटित 20 हैक्टयर भूमि में से समिति के समक्ष प्रस्तुत मानचित्र अनुसार पार्ट–1 से पार्ट–3 तक की भूमि प्राधिकरण स्वामित्व में दर्ज करवायी जावे, जिसका रिकार्ड लैण्ड बैंक/ सीपीआरएमएस में दर्ज करवाया जावे। • ग्राम चीथवाडी तहसील चौंमू के ख.नं. 1137, 1138, 1140, 1141, 1142 में से 7.5 हैक्टयर भूमि (सलंग्न नक्शे अनुसार) प्रस्तावित प्रयोजनार्थ भू–आंवटन नीति के प्रावधान अनुसार अविकसित भूमि होने के कारण डीएलसी दर पर आंवटन किये जाने की

				अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
11.	22	**228:11**	जोन–22 द्वारा :– • जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर राजस्थान • ग्राम डाबलाबुजुर्ग तहसील माधोराजपुरा में जविप्रा स्वामित्व की भूमि • खसरा नम्बर 121/1 रकबा 11.7346 हैक्ट. • किस्म चारागाह में से 25000 व.मी. भूमि आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम डाबलाबुजुर्ग तहसील माधोराजपुरा में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 121/1 रकबा 11.7346 हैक्ट. किस्म चारागाह में से 25000 व.मी. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को आवंटन किये जाने हेतु प्रस्तावित की गई है। मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित खसरें का भू–उपयोग रिक्रेयशनल, पब्लिक/सेमी पब्लिक, क्रिमेशन व ब्यूरियल ग्राउण्ड एवं एच.टी.लाईन दर्शित है तथा मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू–उपयोग ग्रामीण दर्शित है। मास्टर विकास योजना 2025 के वॉल्यूम–4 के बिन्दु संख्या 9.7 तथा नविवि के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्रस्तावित भूमि को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पम्प हाउस व स्वच्छ जलाशय हेतु आंवटन व उपयोग अनुमत है या नहीं, इस संबंध में जोन मास्टर प्लान शाखा से टिप्पणी लेकर आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करें।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II, III, IV/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–ए, बी, सी, 7 से 25, पीआरएन, जविप्रा, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date :29-07-2026 12:11:53

RajKaj Ref No.: 23673260